दूरभाष : 0771–6002017,18
फैक्स : 0771–4061706
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल

Phone: 0771-6002017,18
Fax : 0771-4061706
CHHATTISGARH STATE OPEN SCHOOL

छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर पेंशन बाड़ा रायपुर, 492001 (छ.ग.)
Website :- www. cgsos.in Email :- cgsosraipur@gmail.com

क्रमांक / 185 / ओपन स्कूल / विद्यो. / 2020 रायपुर दिनांक 24 / 06 / 2020

// आदेश //

छ.ग. राज्य ओपन स्कूल रायपुर के द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जाता हैं। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी मुख्य एवं अवसर परीक्षाओं में प्रवेश हेतु पात्रता / नियम / शर्ते / सुविधाये निम्नानुसार हैः–

1. हाईस्कूल (10वीं) में प्रवेश हेतु प्रवेश वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम आयु 14 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है एवं अधिकत्म आयु में कोई बंधन नही है। हायर सेकण्डरी प्रवेश के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु में कोई सीमा निर्धारित नही है।
2. हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश हेतु कोई अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बंधन नही हैं। किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को छ.ग.राज्य ओपन स्कूल में हाई स्कूल(कक्षा 10वीं) की परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। हायर सेकण्डरी (12वीं) परीक्षा हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को छ.ग. राज्य ओपन स्कूल में हायर सेकण्डरी (कक्षा 12वीं) की परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नही होगी।
3. यदि छात्र / छात्रा किसी भी स्तर की परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ हैं और सीधे छ.ग. राज्य ओपन स्कूल की हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम आयु के निर्धारण के लिये ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति में उल्लेखित तिथि को मान्य किया जावेगा।
4. हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक के लिये 09 अवसर दिये जायेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी 09 लगातार अवसरों के मध्य के किसी अवसर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसकी गणना कुल 09 अवसरों में की जायेगी।

5. अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी अनुत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को क्रेडिट योजना के तहत उत्तीर्ण विषयों में से अधिकतम दो विषयों के अंक क्रेडिट करने की पात्रता होगी। यदि अन्य बोर्ड के एवं राज्य ओपन स्कूल की अंक योजना में भिन्नता है तो ऐसी स्थिति में उत्तीर्ण विषयों के अनुपातिक अंक क्रेडिट किये जायेंगे।

   क्रेडिट योजना उन छात्रों के लिये भी है जो छ.ग. राज्य ओपन स्कूल रायपुर में प्रवेश प्राप्त कर पात्रता अवधि 09 अवसर में परीक्षाएं उत्तीर्ण नही कर सकें है। ऐसे छात्र को प्रवेश सत्र में पुनः प्रवेश प्राप्त कर नवीन पंजीयन कराना होगा ।

6. हाई स्कूल (10वीं) एवं हायर सेकण्डरी (12वीं) की मुख्य परीक्षा के लिये पंजीकृत परीक्षार्थियों को न्यूनतम 05 विषय लेना अनिवार्य है, जिनमें कम से कम एक विषय भाषा का अनिवार्य तथा अधिकतम दो विषय भाषा के लिये जा सकते है।

7. **RTD** योजना के तहत – हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् यदि छात्र अगले वर्ष बिना अंतराल के हायर सेकण्डरी की मुख्य परीक्षा में बैठना चाहता है, तो वह अधिकतम चार विषय लेकर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इसमें से अनुत्तीर्ण विषयों में ही वह आगामी अवसर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तत्पश्चात अगामी मुख्य परीक्षा में शेष पांचवा विषय एवं अनुत्तीर्ण विषयों में बैठने की पात्रता होगी (उदाहरणार्थ कोई छात्र 2019 में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण है तो वह कक्षा (12वीं) में 2020 की मुख्य परीक्षा में केवल चार विषयों में ही परीक्षा दे सकता है तथा 2020 के अवसर परीक्षा में उन चार विषयों में से यदि किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो तो उस अनुत्तीर्ण विषय में पुनः सम्मिलित हो सकता है तत्पश्चात कक्षा (12वीं) का पांचवां विषय एवं अन्य अनुत्तीर्ण विषयों में वर्ष 2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी)

8. अंक वृद्धि / श्रेणी सुधार

श्रेणी सुधार केवल उन छात्रों के लिये है जो छ.ग. राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है। ऐसे छात्र यदि अपनी श्रेणी में सुधार (अंक वृद्धि) करना चाहतें है तो वे उत्तीर्ण होने के तत्काल पश्चात् मार्च–अप्रैल होने वाली आगामी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं इस हेतु परीक्षार्थी को मात्र एक अवसर दिया जायेगा। अंको में परिवर्तन तभी किया जायेगा जब प्राप्तांक में पूर्व प्राप्तांक से 10 प्रतिशत की वृद्धि हो अथवा श्रेणी में परिवर्तन हो। उन विषयों में जिनमें प्रायोगिक विषय भी शामिल हैं अंक सुधार हेतु सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों को अंक वृद्धि / श्रेणी सुधार हेतु छ.ग. राज्य ओपन स्कूल में प्रवेश की पात्रता नही होगी। अंक वृद्धि / श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व में लिये गए सभी विषयों एवं में पूर्व पंजीयन से ही परीक्षा देनी होगी। इन्हे पूर्व में लिये गए क्रेडिट विषयों में भी परीक्षा देनी होगी।

9. शुल्क में छूट संबंधी प्रावधान

शुल्क में छूट संबंधी प्रावधान			
वर्ग जाति प्रमाण पत्र		राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत हैः–	
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / 25% प्रवेश शुल्क में छूट	अ.	कलेक्टर / एडिशनल कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. / एस.डी.एम. / सिटी मजिस्ट्रेट
		ब.	तहसीलदार / नायब तहसीलदार / क्षेत्र संयोजक ट्राइबल विभाग
		स.	जिला संयोजक / सहायक परियोजना प्रषासक, (आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग विभाग)
		द.	परियोजना प्रशासन / अधिकारी (वृहद / मध्यम / लघु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना)
2.	विकलांग छात्रों को प्रवेश शुल्क में 50% प्रतिशत तक की छूट	अ.	सरकारी अस्पाताल के सिविल सर्जन ।
		ब.	यह छूट केवल उन छात्रों को प्रदान की जावेगी, जो स्थायी रूप से 40% प्रतिशत अथवा अधिक विकलांग हो।
3.	सभी महिलाओं को प्रवेष शुल्क में 25% प्रतिशत की छूट	अ.	सभी महिलाओं को प्रवेष शुल्क में 25% प्रतिशत तक की छूट

शुल्क में छूट संबंधी उपरोक्त प्रावधानो मे से परीक्षार्थी एक ही प्रावधान का लाभ ले सकता है।

19/6/2020

(प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)
सचिव
छ.ग. राज्य ओपन स्कूल
रायपुर

प्रतिलिपीः–

क्रमांक / ....186.... / ओपन स्कूल / भण्डार / 2020 **रायपुर दिनांक 24... / ..06... / 2020**

1 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर को सादर सुचनार्थ संप्रेषित।
2. निज सहायक अध्यक्ष, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. सर्व संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त जिला समन्वयक केन्द्र छ.ग. राज्य ओपन स्कूल को सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, समस्त अध्ययन केन्द्र छ.ग.राज्य ओपन स्कूल को सूचनार्थ।

19/6/2020

सचिव
छ.ग. राज्य ओपन स्कूल
रायपुर